Etender for hiring Charted Accountant for preparing balance sheet of the University of Financial Year 2012 to 2019

No :- CoH/Registrar/206/2019-20/O **Dated :- 13/08/2019**

1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 (सात वर्ष) के प्रोफार्मो लेखे (प्राप्ति–भुगतान, लाभ–हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा) तैयार करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेट से E निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा हेतु उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड़ के सरकारी विभागों/संस्थाओं के अन्तिम लेखें तैयार किये जाने का अनुभव रखने वाली चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्मो को प्राथिमिता दी जा सकती है। अनुभव सम्बन्धी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड तथा प्रस्तुत किया जाय।
2. निविदा चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म के पास निम्नलिखित सेवायें होने आवश्यक है।
   (i)चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म C&AG के साथ Empanelled होनी चाहिए। साक्ष्य की प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड की जाय।
   (ii)फर्म का उत्तराखण्ड़ में शाखा होना तथा कम से कम पॉच (5) Audit Staff होना अनिवार्य है। साक्ष्य की प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड की जाय।
   (iii)निविदा दाता चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म का गत तीन वर्ष (3) वर्षो में औसत 10 लाख (TenLakh)का टर्न ओवर होना आवश्यक है। साक्ष्य की प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड की जाय।
3. निविदायें द्विप्रणाली निविदा Two Bid System यथा तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा विधि के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदायें कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार अथवा उनके द्वारा नामित समिति द्वारा खोली जायेंगी।
4. निविदा दाता को प्रथम लिफाफे में तकनीकी निविदा तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय निविदा पृथक–पुथक देनी होगी। निविदा नियमों के अर्न्तगत तकनीकी निविदा से सम्बन्धित अभिलेख एक लिफाफे में जिस पर ''चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म की नियुक्ति हेतु आमंत्रित तकनीकी निविदा'' अंकित होना चाहिए तथा देसरे लिफाफे में चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म की नियुक्ति हेतु आमंत्रित वित्तीय निविदा अंकित होना चाहिए सील बंद कर तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में जमा करना अनिवार्य है अथवा पंजीकृत डाक से उक्त पतें पर प्रेषित करना होगा।
5. निविदा दाता को कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के प्रारूप में ही निविदा अनिवार्य रूप से देनी होगी। निर्धारित प्रारूप पर निविदा नही दिये जाने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
6. निविदा दाता चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को विभाग द्वारा तैयार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र को नकद/ड्राफ्ट के रूप में जी.एस.टी. शुल्क सहित रू0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) देना होगा जो Non Refundable होगा। यदि आवेदन शुल्क की धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित की जाती है तो यह धनराशि का ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के नाम से बना हो तथा पंजाब नैशनल बैंक, पौडी में देय हो। ड्राफ्ट की प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड की जाय तथा प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने से पूर्व कार्यालय में अनिवार्यत जमा की जाय।

7. निविदा दाता चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को तकनीकी निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 25000.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. जो कि वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के नाम बंधक हो तथा निविदा सूचना जारी होने के तिथि के बाद की बनी हो अपलोड करनी होगी तथा मूल ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. तकनीकी निविदा खोले जाने से पूर्व ही कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के कार्यालय में जामा करना होगा। यदि मूल ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जमा नही किये जाते है तो तकनीकी निविदा अपूर्ण मानी जायेगी।
8. निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल निविदादाता चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को छोडकर शेष निविदादाताओं की धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।
9. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ GSTN Number, PAN वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आयकर विवरणी की स्वसत्यापित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साक्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा यह सभी अभिलेख तकनीकी निविदा खोले जाने से पूर्व ही कुलसचिव,वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार कार्यालय में जामा करना होगा। यदि मूल अभिलेख जमा नही किये जोते है तो तकनीकी निविदा अपूर्ण मानी जायेगी तथा निरस्त कर दी जायेगी।
10. अपूर्ण निविदा पर निविदा समिति द्वारा विचार नही किया जायेगा और न ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने दिया जायेगा।
11. सफल निविदा दाता का लाभ–हानि खाता एंव आर्थिक चिट्ठा तैयार करने हेतु जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेगें कि गोपनीयता बनाये रखनी होगी तथा समस्त अभिलेख बिना नुकसान के कार्यालय को अपने व्यय पर वापिस हस्तगत/प्राप्त कराये जाने होगें।
12. सफल निविदा दाता को निविदा की धनराशि का दस प्रतिशत अथवा जमानत धनराशि के रू॰ में कार्यादेश प्राप्त होने के 7 (सात) दिन के अन्दर एफ.डी.आ. अथवा एन.एस.सी. जो कि वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के नाम बंधक हो उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदादाता तीन दिन के अन्दर उक्त जमानत धनराशि उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो सम्बन्धित निविदादाता का दावा अमान्य करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा तथा दूसरे सफल निविदादाता (L2) का कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम सफल निविदादाता (L1) का होगा तथा निविदा की अन्तर धनराशि की वसूली सम्बन्धित निविदादाता (L1) से की जायेगी।
13. आयकर अधिनियम के अनुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती नियमानुसार से की जायेगी।
14. लाभ–हानि लेखों संबधित कार्य की पाक्षिक समीक्षा लेखाधिकारी तथा मासिक समीक्षा संबधित वित्त नियंत्रक महोदय तत्पश्चात कार्य पूर्ण समीक्षा बैठक कुलपति स्तर पर की जायेगी जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेट को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा।
15. लेखे पूर्ण करने कच्चा लेखा (प्रोफार्मो एकाउन्टेट) तैयार करने के लिए मूल अभिलेख विवरण एवं सूचनायें समय से उपलब्ध कराने का मौलिक उत्तदायित्व सम्बन्धित लेखाधिकारी/अधिष्ठाता, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार उसी आधार पर ही विश्वविद्यालय और लेखे सम्बन्धी खाता Ledger को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र लेखाधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात् ही लेखा कार्य पूर्ण माना जायेगा।
16. फार्म ई अन्तिम लेखा (प्राप्ति–भुगतान, लाभ–हानि तथा आर्थिक चिट्ठा) लेखाधिकारियों द्वारा निर्धारित कराकर वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार को उपलब्ध करोयेगें।

17. आंवटित महाविद्यालयो/संस्थान/केन्द्रो/Research,Extension Directorate का आय–व्ययक लेखा तैयार कर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।
18. चार्टर्ड एकाउन्टेट को अनुबन्धित एक वर्ष के लेखे पूर्ण करने का कार्य 01 माह की समय सीमा में पूर्ण करना होगा तथा वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक के लेखे निर्धारित समय के अन्तर्गत प्रस्तुत करने होगें अर्थात प्रत्येक माह के समय अन्तराल पर क्रमश वित्तीय वर्षो के लेखे माननीय कुलपति महोदय/वित्त नियंत्रक कार्यालय में निर्धारित समय सीमा अवधि में अधिकतम 10 दिन की वृद्वि सम्बन्धित द्वारा लिखित समिति से उस स्थिति में दी जा सकती है सदि विलम्ब के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेट दोषी न हो। सफल निविदा दाता को कुलसचिव से अनुमोदित समय सारणी उपलब्ध करायी जायेगी। सफल निविदा चार्टर्ड एकाउन्टेट को उक्त समय सारणी के अनुसार ही कार्य सम्पादित कराना होगा। यदि समय सारणी में यथावश्यक संशोधन किया जाना हो उसका अनुमोदन कुलसचिव से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
19. विलम्ब समय सीमा के उपरान्त भी यदि उपरोक्त प्रस्तर 18 में वर्णित कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो एक सप्ताह अथवा उसके किसी एक अंश के विलम्ब पर चार्टर्ड एकाउन्टेट/फर्म से रू 5000.00(पांच हजार मात्र) की कटौती की जायेगी। यदि अनुबन्धित कार्य वर्ष–वार 01 माह के उपरान्त भी नही होता और सम्बन्धित विश्वविद्यालय का यह समाधान हो जाता है की विलम्ब चार्टर्ड एकाउन्टेट के कार्य में उदासीनता के कारण हो रहा है तो सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट को दस दिन की सूचना देकर अनुबन्धित कार्य वापास ले लिया जायेगा और कोई भी धनराशि शुल्क (फीस) के रूप में देय नही होगी। चाहें चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा आंशिक कार्य सम्पादित कर लिया गया हो इसके लिए अलग से काई सूचना नही दी जायेगी।
20. यह विधित/ज्ञांत होने पर की सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा कार्य में अपेक्षित रूची नही ली जा रही है और समय से पूर्ण होने की सम्भावना प्रतीत नही हो रही है तो ऐसी परिस्थितियों में बिना कारण बतायें किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कुलपति, विश्वविद्यालय, भरसार द्वारा निहित होगा।
21. महाविद्यालयों/केन्द्रो/संस्थानों की अन्तरिक लेखा परीक्षा, लेखों के रखराखव प्रविष्टियों की शुद्वता एवं कच्चे (प्रोफार्मो) लेखों के वांछित मापदण्डों के आधार पर इन्द्राज (पोस्टिगं) आदि की शुद्वता की जांच तक ही सीमित रहेगा। आन्तरिक लेखा परीक्षा अपेक्षित नही है।
22. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण माननीय कुलपति महोदय को संदर्भित किया जायेगा और उनका निर्णय सभी पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
23. समस्त भुगतान वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार द्वारा किया। शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट को किया जायेगा (स्थानीय निधि लेखा/महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा में पाई गई आपत्तियों का निराकरण भी सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा ही किया जायेगा)
24. वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 के लिए फार्म ई प्रोफार्मो लेखा तैयार करना जिसमें अपूर्ण अभिलेख को पूर्ण करना भी सम्मिलित होगा। उक्त लेखे सम्भालकर पृथक–पृथक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभिन्न केन्द्रो की क्रमश लेखा बनाया जाना एवं विश्वविद्यालय स्तर पर संकलन कर अन्तिम रूप दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्तिम रूप से तैयार लेखे को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा दिया जायेगा।
25. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को मूल्यांकन दर तकनीकी. Project Evaluation Rate चार्ट बनाकर प्रस्तुत कराना होगा।

26. चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को महाविद्यालय लेखा कार्यालय अभिलेखो को पूर्ण कर विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह प्रमाण पत्र देना होगा कि विश्वविद्यालय से उपलब्ध कराया गया कोई भी बाउचर अवशेष नही है तथा समस्त अग्रिम धनराशियों का समायोजन कर लिया गया है।
27. Hiring के आधार पर किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेट/फर्म की स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का दावामान्य नही होगा।
28. यदि समस्त निविदा दाता की फर्म द्वारा वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 तक के लेखे सफलता पूर्व सम्पादित किये जाते है तो सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को आगामी तीन वर्ष के लेखे तैयार किये जाने के कार्य भी सौंपा जा सकता है। इस हेतु सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म से लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी।
29. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक होगें।
30. फर्म के स्वामित्वधारी के आधार कार्ड की छायाप्रति अपलोड/संलग्न की जाय।
31. लाभ–हानि खाते व अन्तिम लेखा तैयार करने हेतु सफल निविदादाता (चार्टर्ड एकाउन्टेट) द्वारा जो भी कार्य किये जायेगें उनकी समीक्षा/अनुभव की रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को प्रेषित करेगें।
32. ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को अन्तिम तिथि दिनांक 05.09.2019 तक निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि की एफ.डी.आर. मूल रूप से बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ संलग्न कर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
33. निविदादाताओं चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्म को पूर्व में इस प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने संबंधित किसी भी विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगां।
34. निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
35. किसी प्रकार का वाद होने पर माननीय कुलपति महोदय का निर्णय मान्य होगा।
36. अग्रिम के रूप में कोई धनराशि भुगतान नही की जायेगी। भुगतान फर्म –E अन्तिम लेखा (प्राप्ति–भुगतान, लाभ–हानि तथा आर्थिक चिट्ठा) वर्षवार उपलब्ध करवाने पर किया जायेगा।
37. सफल निविदादाता को भुगतान प्राप्त करने हेतु फर्म का नाम खाता संख्या बैंक का नाम आई.एफ.सी. कोड जी. एस.टी. संख्या तथा पैन उपलब्ध कराना होगा।

नोट :– अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति पैन कार्ड की प्रति/आधार कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की प्रति निविदा शुल्क का ड्राफ्ट शर्त संख्या 2,6,7,9 में वांछित अभिलेख तथा धरोहर राशि की एफ.डी.आर. की प्रति प्रत्येक व्यक्ति एवं फर्म को ई–निविदा में तकनीकी निविदा के साथ अनिवार्यत: अपलोड करनी होगी। जिनकी मूल प्रतियॉ तकनीकी निविदा खोले जाने पूर्व कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार कार्यालय में जमाय करना अनिवार्य है।

कुलसचिव
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड़
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार